[illegible] सन्तोष गिरी बनाम ग्राम पंचायत आउ

[illegible] मुकदमा अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम राजस्व अपील संख्या 275/24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट के अधिवक्ता आज दिनांक को बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता उपस्थित है। अपीलान्ट के अधिवक्ता को आज न्यायालय में उपस्थित होने हेतु तीन बार आवाज लगवाई गई, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। अपीलान्ट अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 06.12.2024 को पेश हो। अति0 सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर	
06.12.24	पत्रावली पेश हुई। अपील पत्रावली का तथा रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 07.10.2024 को अपील की श्रवण क्षेत्राधिकारिता बाबत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र का राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 का अवलोकन किया गया एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर मनन किया जिससे यह पाया गया है कि अपीलान्ट के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा दिनांक 19.01.23 जिसके द्वारा ग्राम आउ के ख0सं0 456/4 की रकबा भूमि का राज0 भू राजस्व ग्रामीण क्षेत्र (कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण) नियम 2007 के नियम 09 के तहत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत अति0 सम्भागीय आयुक्त न्यायालय को नहीं होकर राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय को है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील सुनवाई क्षेत्राधिकार से बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। 06.12.24 अति0 सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर	